# उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

# (यूपीडा)

## बोर्ड की 67वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 16.07.2021

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

# उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2021 को सम्पन्न हुई 67वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सदस्य/सचिव
3. श्री अजय सिंह चौहान, सहायक लेखाधिकारी, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
5. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
6. श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, नगर नियोजक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) –सदस्य
7. श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री आर0 आर0 सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (तकनीकी) डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
7. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
8. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी, भू–अर्जन, यूपीडा।
9. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
10. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
12. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
13. श्री सियाराम मौर्य, वरिष्ठ भू–अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
14. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
15. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 67वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 15.06.2021 को सम्पन्न हुई 66वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 66वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 15.06.2021 को सम्पन्न 66वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 15.06.2021 को सम्पन्न हुई 66वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 को 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 218 पर सी.एन.जी.स्टेशन की स्थापना हेतु यूपीडा द्वारा लीज पर भूमि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

यूपीडा निदेशक मण्डल को निम्नवत् अवगत कराया गया:–

1. मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 218 (ग्राम गुजेपुर, परगना एवं तहसील–बिल्हौर, जिला कानपुर नगर) पर एक सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु भूमि के आवंटन एवं लीज रेन्ट इंगित किये जाने का अनुरोध किया गया था। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया था कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या–PNGRB/CGD/BID/9/ 2018/ GA/79/ Uttar Pradesh-Bid Evaluation दिनांक 13.09.2018 के माध्यम से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित किये जाने हेतु उन्हें जनपद औरैया, कानपुर देहात एवं इटावा के भौगोलिक क्षेत्र हेतु अधिकृत किया गया है तथा सी.एन.जी. स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु वांछित भूमि भी उनके अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र से आच्छादित है।
2. उपरोक्त के क्रम में यूपीडा द्वारा उन्हें अवगत कराया गया था कि 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रिज लि0 को फ्यूल स्टेशन स्थापित करने हेतु आवंटित भूमि पर वर्तमान में रू0 305.14 प्रति वर्ग मीटर (जी0एस0टी0 सहित) प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि सहित लीज रेन्ट प्राप्त किया जा रहा है जो कि मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा वांछित भूमि के दाँयीं ओर स्थित है अतः सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु उसी दर यथा 305.14 प्रति वर्ग मीटर पर उन्हें भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है। तत्क्रम में मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 ने पत्र दिनांक 12.11.2020 के द्वारा अवगत कराया था कि यूपीडा द्वारा इंगित किया गया लीज रेन्ट सी.एन.जी. स्टेशन की आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी है तथा उन्होंने सी.एन.जी. उद्योग सम्बन्धित कतिपय तथ्यों के कारण रियायती दर यथा रू0 100 प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह की दर (प्रति 3 वर्ष में 5 प्रतिशत वृद्धि सहित) से लीज रेन्ट पर भूमि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया था।

सन्दर्भित विषय पर दिनांक 04.12.2020 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में यूपीडा द्वारा मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0लि0 को भूमि आवंटन करने के लिये उक्त स्थान पर यूपीसीडा द्वारा प्रचलित कॉमर्शियल दर से प्राधिकरण को अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में यूपीसीडा के पत्र दिनांक 03.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया था कि ''प्राधिकरण के पास कोई भी भूमि बिल्हौर, जनपद कानपुर में अधिग्रहित/विकसित उपलब्ध नहीं है एवं बिल्हौर के निकट कन्नौज के तिर्वा तहसील के ठठिया कस्बे में प्राधिकरण के द्वारा इत्र पार्क हेतु भूमि अर्जित की गयी है, परन्तु इसका दर अभी निर्धारित नहीं किया गया है। अनुमोदित ले-आउट के अनुसार औद्योगिक भूखण्डों का सम्भावित दर रू0 5850 प्रति वर्ग मीटर आगणित है तथा व्यवसायिक भूखण्डों के विपणन में आरक्षित मूल्य औद्योगिक भूखण्ड का 2 गुना रखते हुये ई-ऑक्शन करने की नीति वर्तमान में प्रचलित है।'' चूंकि यूपीडा द्वारा सी.एन.जी. स्टेशन हेतु भूमि लीज रेन्ट के आधार पर उपलब्ध करानी है अतः यूपीसीडा द्वारा उपरोक्तानुसार सूचित आरक्षित मूल्य को लीज रेन्ट हेतु आधार नहीं बनाया जा सकता है।

3. उपरोक्तानुसार, यूपीसीडा से प्राप्त पत्र दिनांक 03.02.2021 के क्रम में यूपीडा के पत्र दिनांक 26.02.2021 के द्वारा उपरोक्त स्थिति से शासन को अवगत कराते हुये 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 218 पर बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर स्थित 4875 वर्ग मी0 भूमि पर सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु मेसर्स टॉरेन्ट गैस प्रा0लि0 के प्रस्ताव पर विचार कर लीज पर भूमि प्रदान किये जाने हेतु उचित लीज रेन्ट निर्धारित करते हुये प्राधिकरण को दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिस पर शासन के निर्देश अप्राप्त हैं।
4. पुनः मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 ने अपने पत्र दिनांक 25.05.2021 के द्वारा अपने प्रस्ताव को संशोधित करते हुये सी.एन.जी. स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु 2500 स्क्वायर मी0 क्षेत्रफल की भूमि रू0 170 प्रति स्क्वायर मी0 की दर से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया था। उक्त प्रस्ताव पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की अध्यक्षता में गठित नामित समिति की दिनांक 27.05.2021 एवं दिनांक 09.06.2021 को सम्पन्न बैठकों में मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था।
5. उपरोक्त बैठकों के क्रम में मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 ने अपने पत्र दिनांक 11.06.2021 के द्वारा 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 218, ग्राम गुजेपुर, परगना एवं तहसील-बिल्हौर, जिला कानपुर नगर स्थित 2500 स्क्वायर मी0 भूमि रू0 200 प्रति वर्ग मी0 प्रतिमाह (जीएसटी सहित) की दर से लीज रेन्ट (लीज अवधि शुरू होने के दो वर्ष पश्चात् 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित) पर आवंटित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने अपने पत्र संख्या-पीएनजीआरबी/मॉनिटरिंग/1/सीजीडी- 979/(36)/2019(पी-704) दिनांक 25.06.2021 के द्वारा पुष्टि की है कि 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 218 ग्राम गुजेपुर, परगना एवं तहसील-बिल्हौर, जिला कानपुर नगर का क्षेत्र मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 को सी.एन.जी. स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु अधिकार क्षेत्र से आच्छादित है।
6. 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 218, ग्राम गुजेपुर, परगना एवं तहसील-बिल्हौर, जिला कानपुर नगर स्थित 2500 स्क्वायर मी0 भूमि रू0 200 प्रति वर्ग मी0 प्रतिमाह (जीएसटी सहित) की दर से लीज रेन्ट (लीज अवधि शुरू होने के दो वर्ष पश्चात् 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित) की दर से भूमि उपलब्ध कराने हेतु मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 का संशोधित प्रस्ताव यूपीडा निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

<u>कार्यवाही/निर्णयः-</u> उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत होते हुये विस्तृत विचार- विमर्शोपरान्त, यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 को 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' के चेनेज 218, ग्राम गुजेपुर, परगना एवं तहसील-बिल्हौर, जिला कानपुर नगर स्थित 2500 स्क्वायर मी0 भूमि रू0 200 प्रति वर्ग मी0 प्रतिमाह (जीएसटी सहित) की दर से लीज रेन्ट (लीज अवधि शुरू होने के दो वर्ष पश्चात् 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित) पर निम्न मुख्य शर्तों सहित आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गयाः-

i. The Lease period shall be for 29 year and 11 months and may be extended, for a further lease of the demised premises at the rent and for the period to be mutually agreed.

ii. The Lessee shall provide a sum equivalent to 4 (four) months of lease rental as Security Deposit to the Lessor.

iii. If the rent reserved or any part thereof shall be in arrears for a period of one week, Lessee shall pay a penalty @ Rs. 10,000.00 per week to the Lessor.

i. The rent shall be payable quarterly in the first week of the first month of the respective quarter and, if the Quarterly rent or any part or penalty thereof shall be in arrears till the last day of the said quarter.

ii. The Lessee shall not licence or sublet the demised premises or any part thereof for use for all or any of the purpose.

iii. The Lessee shall obtain and renew all necessary licenses and permits and to pay all license and other fees and cesses levied in respect of the Leased Land.

iv. The Lessee shall make all necessary arrangement and obtain necessary connections for electricity and water etc. from concerned Departments.

v. The Lessee shall pay property tax, municipal tax on building/superstructure constructed by it on the Leased Land, and also any tax or other imposition levied by the Government or any Municipality / Authority on any Signboard/ Advertisement etc put up by the Lessee.

vi. The stamp duty and registration charges payable in respect of this agreement and duplicate thereof shall be borne and paid by the Lessee.

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त अनुमोदन प्रदान करते हुये शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने तथा अनुमोदनोपरान्त मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0लि0 को 'लेटर आफ अवार्ड' जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा उन्हें सी.एन.जी. स्टेशन हेतु 'जहां है, जैसा है' आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा बिन्दु–04:–** **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदनः–**

**1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जानाः–**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना हैः–

| क्र0 सं0 | नाम अधिकारी/ कर्मचारी | पदनाम | पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि | सेवा विस्तार अवधि | सेवा विस्तार की अन्तिम तिथि | यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | श्री प्रभात कुमार अवस्थी | मुख्य सुरक्षा अधिकारी | 30.06.2021 | 06 माह | 30.12.2021 | सं0–1056/यूपीडा/1333/19/ अधि0 दिनांक 14.06.2021 |
| 2. | श्री कर्नल के0एस0 त्यागी | वरिष्ठ परामर्शी (डिफेंस कॉरिडोर) | 30.06.2021 | 06 माह | 30.12.2021 | सं0–1060/यूपीडा/1490/19/ अधि0 दिनांक 14.06.2021 |
| 3. | श्रीमती कुसुमलता | वैयक्तिक सहायक | 28.06.2021 | 01 वर्ष | 28.06.2022 | सं0–1055/यूपीडा/824/17/ अधि0 दिनांक 14.06.2021 |
| 4. | श्री विश्वदीपक | मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल) | 20.05.2021 | 01 वर्ष | 20.05.2022 | सं0–1044/यूपीडा/1520/19/ अधि0 दिनांक 14.06.2021 |
| 5. | श्री अतुल अस्थाना | वरिष्ठ प्रबन्धक (वन) | 03.07.2021 | 06 माह | 03.01.2022 | सं0–1061/यूपीडा/1676/20/ अधि0 दिनांक 14.06.2021 |
| 6. | श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना | सहायक प्रबन्धक (लेखा) | 30.06.2021 | 06 माह | 30.12.2021 | सं0–1127/यूपीडा/247/14/ अधि0 दिनांक 16.06.2021 |
| 7. | श्री राम सुधार यादव | वरिष्ठ सहायक (नजारत) | 22.06.2021 | 06 माह | 22.12.2021 | सं0–1138/यूपीडा/243/14/ अधि0 दिनांक 16.06.2021 |
| 8. | श्री चुनकू राम पटेल | विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन) | 03.06.2021 | 06 माह | 03.12.2021 | सं0–1128/यूपीडा/1129/18/ अधि0 दिनांक 16.06.2021 |
| 9. | श्री सियाराम मौर्य | वरिष्ठ भू–अर्जन अधिकारी | 30.06.2021 | 06 माह | 30.12.2021 | सं0–1126/यूपीडा/1961/20/ अधि0 दिनांक 16.06.2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | श्री एन0एन0 श्रीवास्तव | महाप्रबन्धक(सिविल) | 06.06.2021 | 06 माह | 06.12.2021 | सं0–1125 / यूपीडा / 1236 / 19 / अधि0 दिनांक 16.06.2021 |
| 11. | श्री सीताराम यादव | राजस्व सहायक | 15.06.2021 | 06 माह | 15.12.2021 | सं0–1183 / यूपीडा / 1212 / 18 / अधि दिनांक 17.06.2021 |
| 12. | श्री भगवानदीन वर्मा | भू–अर्जन / सहायक भू–अर्जन अधिकारी | 30.06.2021 | 03 माह | 30.09.2021 | सं0–1264 / यूपीडा / 1958 / 20 / अधि0 दिनांक 21.06.2021 |
| 13. | श्री कालीशंकर वर्मा | भू–अर्जन / सहायक भू–अर्जन अधिकारी | 30.06.2021 | 03 माह | 30.09.2021 | सं0–1262 / यूपीडा / 1960 / 20 / अधि0 दिनांक 21.06.2021 |
| 14. | श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव | भू–अर्जन / सहायक भू–अर्जन अधिकारी | 30.06.2021 | 03 माह | 30.09.2021 | सं0–1263 / यूपीडा / 1962 / 20 / अधि0 दिनांक 21.06.2021 |
| 15. | श्री रमेश चन्द्र वैश्यवार | राजस्व निरीक्षक | 30.06.2021 | 03 माह | 30.09.2021 | सं0–1336 / यूपीडा / 318 / 14 / अधि0 दिनांक 23.06.2021 |
| 16. | श्रीमती कंचन तिवारी | लेखाकार | 12.07.2021 | 06 माह | 12.01.2022 | सं0–1340 / यूपीडा / 503 / 15 / अधि0 दिनांक 23.06.2021 |
| 17. | श्री शम्स आजाद | सहायक प्रबन्धक (सिविल) | 25.07.2021 | 06 माह | 25.01.2020 | सं0–1341 / यूपीडा / 1395 / 19 / अधि0 दिनांक 23.06.2021 |
| 18. | श्री जितेन्द्र नाथ तिवारी | राजस्व सहायक | 15.06.2021 | 03 माह | 15.09.2021 | सं0–1335 / यूपीडा / 1223 / 19 / अधि0 दिनांक 23.06.2021 |
| 19. | श्री वी0के0चतुर्वेदी | निजी सचिव | 30.06.2021 | 01 वर्ष | 30.06.2022 | सं0–1449 / यूपीडा / 568 / 16 / अधि0 दिनांक 28.06.2021 |
| 20. | श्री टी0पी0 जोशी | निजी सचिव | 07.07.2021 | 06 माह | 07.01.2022 | सं0–1450 / यूपीडा / 1773 / 20 / अधि0 दिनांक 28.06.2021 |
| 21. | श्री शरद तिवारी | विधि सलाहकार | 09.07.2021 | 06 माह | 09.01.2022 | सं0–1546 / यूपीडा / 833 / 18 / अधि0 दिनांक 30.06.2021 |
| 22. | श्री अशोक कुमार शर्मा | सहायक प्रबन्धक (सिविल) | 25.07.2021 | 06 माह | 25.01.2022 | सं0–1538 / यूपीडा / 1411 / 19 / अधि0 दिनांक 30.06.2021 |
| 23. | श्री साहिर अहमद सिददीकी | प्रबन्धक (सिविल) | 25.07.2021 | 06 माह | 25.01.2022 | सं0–1598 / यूपीडा / 1410 / 19 / अधि0 दिनांक 02.07.2021 |
| 24. | श्री राजकुमार मिश्रा | प्रबन्धक (सिविल) | 25.07.2021 | 06 माह | 25.01.2022 | सं0–1597 / यूपीडा / 1406 / 19 / अधि0 दिनांक 02.07.2021 |

2. **यूपीडा के पत्रों द्वारा औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में संविदा पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति का अनुमोदन 67वीं बोर्ड की बैठक 16.07.2021 में प्राप्त किया जाना हैः–**

यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्ति के यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर यूपीडा मुख्यालय के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्ति की गयी है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2021 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। विवरण निम्नवत् हैः–

| क्र0 सं0 | नाम अधिकारी / कर्मचारी | पदनाम | नियुक्ति अवधि | कार्यभार ग्रहण की तिथि | नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री रविन्द्र शर्मा | ड्राफ्टमैन | 06 माह नियुक्ति | 07.07.2021 | सं0–1713 / यूपीडा / 2099 / 21 / अधि0 दिनांक 07.07.2021 |

3. **यूपीडा के अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त किये गये अधिकारी का वेतन वृद्धि किये जाने पर अनुमोदन प्रस्तावः–**

यूपीडा में कार्यरत मीडिया सलाहकार श्री दुर्गेश उपाध्याय की सेवाओं की आवश्यकता एवं उपयोगिता के दृष्टिगत उनके वर्तमान वेतन रू0 75,000.00 / – प्रतिमाह में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरान्त रू. 25,000 / – की वेतन वृद्धि करते हुए यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या– 1105 / यूपीडा / 914 / 18 / अधि0 दिनांक 18.08.2020 द्वारा रू. 1,00,000 / – (रूपया एक लाख) प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है।

**कार्यवाही / निर्णय**

अधिष्ठान के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये एजेण्डा बिन्दु–04 के उप बिन्दु–01, 02 एवं 03 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु—05:— **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज सं0—1 के निर्माणकर्ता के साथ निष्पादित अनुबन्ध के शिड्यूल—जे (प्रोजेक्ट कम्पलीशन शिड्यूल) में संशोधन, शासनादेश संख्या 2600/77—3—20—208एम/18 दिनांक 26.11.2020 द्वारा पैकेज सं0—1 एवं पैकेज सं0—2 के निर्माणकर्ताओं को प्रदान किये गये शिड्यूल—एच के शिथिलिकरण को 06 माह तक बढ़ाये जाने तथा दोनों निर्माणकर्ताओं को विशिष्टियों के अनुरुप पूर्ण किये गये कार्यो के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त वन टाइम पेमेंट की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।**

कार्यवाही/निर्णय मा0 मंत्रिपरिषद से अनुमोदन हेतु उपरोक्तानुसार प्रेषित प्रस्ताव का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रेषित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा भी निर्देश दिया गया कि घाघरा नदी पर प्रस्तावित दीर्घ सेतु के अतिरिक्त 400 मी0 लम्बाई के पुल निर्माण का प्रस्ताव का मा0 मंत्री परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये तथा इस हेतु शासन को संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु—06:— **डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के झांसी नोड के अंतर्गत जनपद—झांसी में प्राप्त भूमि की संशोधित दर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के झांसी नोड के अंतर्गत जनपद—झांसी में प्राप्त भूमि की संशोधित दर के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु—07:— **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के किसी एक स्थान पर हडको सी.एस. आर. ग्रांट की राशि से शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में।**

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के किसी एक स्थान पर हडको सी.एस. आर. ग्रांट की राशि से शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार यूपीडा के द्वारा संयुक्त महाप्रबन्धक, हडको से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किसी स्थान पर प्रसाधन ब्लॉक विकसित करने हेतु ऋण प्रदान करने से सम्बन्धित सम्भावनाओं की अपेक्षा की गई है। संयुक्त महाप्रबन्धक (वित्त), हडको ने अपने पत्र HUDCO/LRO/2021/197 दिनांक 23.06.2021 के द्वारा पूर्वाचंल एक्सप्रसवे परियोजना पर एक स्थान पर सी.एस.आर. गाइडलाइन्स के अंतर्गत ग्रांट प्रदान करने हेतु सहमति दी गई एवं उपरोक्तानुसार ग्रांट हेतु प्रार्थना पत्र प्रारूप प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

कार्यवाही/निर्णय उपरोक्त प्रस्ताव का निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु—08:— **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण से प्रभावित जनपद—हमीरपुर की तहसील—मौदहा के ग्राम—गुन्देला (0.618 हे0) व तहसील—राठ के ग्राम—बहपुर (0.082 हे0) व तहसील—सरीला के ग्राम—उमरिया (1.732 हे0), ग्राम—बीरा (0.008 हे0) व ग्राम—इटैलियाबाजा (2.2872 हे0) की संरेखण से कुल अतिरिक्त 4. 7272 हे0 भूमि क्रय के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित जनपद–हमीरपुर की तहसील–मौदहा के ग्राम–गुन्देला (0.618 हे0) व तहसील–राठ के ग्राम–बहपुर (0.082 हे0) व तहसील–सरीला के ग्राम–उमरिया (1.732 हे0), ग्राम–बीरा (0.008 हे0) व ग्राम–इटैलियाबाजा (2.2872 हे0) की संरेखण से कुल अतिरिक्त 4.7272 हे0 भूमि क्रय के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–09:–

**बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित जनपद–हमीरपुर की तहसील–मौदहा के ग्राम–रीवन (3.1907 हे0) व तहसील–राठ के ग्राम–इगुई (1.385 हे0) की संरेखण से कुल अतिरिक्त 4.5757 हे0 भूमि क्रय के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित जनपद–हमीरपुर की तहसील–मौदहा के ग्राम–रीवन (3.1907 हे0) व तहसील–राठ के ग्राम–इगुई (1.385 हे0) की संरेखण से कुल अतिरिक्त 4.5757 हे0 भूमि क्रय के अनुमोदन के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–10:–

**बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित जनपद–हमीरपुर की तहसील–मौदहा के ग्राम–औरा की संरेखण से अतिरिक्त 0.5897 हे0 भूमि क्रय के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित जनपद–हमीरपुर की तहसील–मौदहा के ग्राम–औरा की संरेखण से अतिरिक्त 0.5897 हे0 भूमि क्रय के अनुमोदन के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–11:–

**बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित ग्राम–पुन्नियां, तहसील–चरखारीजनपद–महोबा की संरेखण से अतिरिक्त 0.092 हे0 भूमि क्रय के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित ग्राम–पुन्नियां, तहसील–चरखारीजनपद–महोबा की संरेखण से अतिरिक्त 0.092 हे0 भूमि क्रय के अनुमोदन के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–12:–

**बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति।**

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी 06 पैकेजो में ई0पी0सी0 ठेकेदारों को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि (Appointed Date) दिनांकः 15.01.2020 दी गई थी। तद्क्रम में उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किये गये और वर्तमान में दिनांकः 12.07.2021 तक सभी पैकेजों की भौतिक व वित्तीय प्रगति निम्नवत् है–

| क्रम सं0 | पैकेज संख्या | ठेकेदारों के नाम | दिनांक 12.07.2021 तक भौतिक प्रगति(%) | दिनांक 12.07.2021 तक वित्तीय प्रगति(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | एप्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड | 61.55% | 42.33% |
| 2 | II | एप्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड | 60.16% | 43.67% |
| 3 | III | अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड | 65.04% | 53.77% |
| 4 | IV | गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेड | 79.71% | 70.30% |
| 5 | V | गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेड | 68.96% | 57.83% |
| 6 | VI | दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड | 60.54% | 44.21% |
| | | कुल प्रतिशत | 66.47% | 52.32% |

परियोजना के सभी 06 पैकेजो में माइलस्टोन–01 प्राप्त होने की निर्धारित तिथि दिनांक 22.08.2020 थी जिसे सभी पैकेजों में समय से पूर्व प्राप्त कर लिया गया है और माइलस्टोन–02 प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 18.07.2021 है जो सभी पैकेजों में पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। माइलस्टोन–03 प्राप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 18.02.2022 है जिसे पैकेज–IV ने 31.05.2021 को प्राप्त कर लिया है। कार्य सन्तोशजनक गति से प्रगति पर है।

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में**

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यो के लिए ई0पी0सी0 ठेकेदारों को उनके अनुबन्ध के क्लाज 13 के अन्तर्गत अनुमोदनोपरान्त अथॉरिटी इन्जीनियर द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत की गई है–

| क्रम सं0 | पैकेज संख्या | कार्य का नाम |
|---|---|---|
| 1. | II | I. चैनेज 60+385 पर चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत वायाडक्ट के निर्माण का अनुमोदन (Aprroval) होने के फलस्वरूप इस स्थान (चैनेज 60+400) पर कन्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट में प्राविधानित 05 मी0 लम्बाई के माइनर ब्रिज के De-scoping का कार्य।<br>TL-1, notification letter no- ICT/BEWP/AE1/TL/788 dated: 24/06/2021 |

उक्त चेन्ज ऑफ स्कोप (cos) नोटिस के क्रम में ई0पी0सी0 ठेकेदारों द्वारा विस्तृत गणना के आधार पर आगणन प्रेषित किये जाने है जिनके परीक्षण व स्वीकृति के पश्चात् निदेशक मण्डल को पुनः अवगत कराया जायेगा।

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संस्तुति प्रदान की गई

एजेण्डा बिन्दु–14:– **पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माणकर्ता (M/s Gayatri Project Limited (Package I & II) के अनुरोध पर UPEIDA द्वारा निर्माणकर्ता (M/s Gayatri Project Limited (Package I & II) के आपूर्ति कर्ताओं / विकेताओं को सीधे भुगतान किया जाना।**

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो गया है। किन्तु पैकेज–01 में कार्य कर रही कार्यदायी संस्था **(M/s Gayatri Project Limited** के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उनके कार्यो के विरूद्व भुगतान की जाने वाली धनराशि उनके आपूर्ति कर्ताओं / विक्रेताओं को सीधे भुगतान कर दी जाये तो कार्यो की गति में अपेक्षा अनुरूप वृद्धि होगी। इस सम्बन्ध में कार्यहित में यह निर्णय लिया गया है कि यद्यपि M/s Gayatri Project Limited के साथ निष्पादित अनुबन्ध के प्राविधानो के अनुसार उनके कार्यो के विरूद्व भुगतान की जाने वाली धनराशि उनके आपूर्तिकर्ताओं / विकताओं को सीधे भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में वे संस्थायें जो राजकीय संस्थाएं

+ ++

है, जैसे मथुरा रिफाइनरी आदि को यूपीडा द्वारा **M/s Gayatri Projects** द्वारा किये गये कार्यों के विरूद्ध सीधे भुगतान किया जाना कार्यहित में उचित प्रतीत होता है। **M/s Gayatri Project Limited** द्वारा किये गये कार्यों के विरूद्ध भुगतान की जाने वाली धनराशि उनके किन–किन आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को भुगतान की जानी है, कि स्पष्ट सूची एवं सहमति पत्र अथॉरिटी इन्जीनियर को उपलब्ध करायेंगे एवं उनकी संस्तुति के पश्चात पूर्व की भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन करते हुये देयक लेखानुभाग को समस्त अग्रसारित अधिकारियो की संस्तुति के पश्चात प्रेषित किया जायेगा।

कार्यवाही/निर्णय — उपरोक्त पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–15:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदन:–**

कार्यवाही/निर्णय — पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यों के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–16:– **मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 14.07.2021 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण :–**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 13.07.2021 तक एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया एवं अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा के विधि प्रकोष्ठ अधिकारियों (अधिवक्ता) के साथ एक बैठक आहूत कर मंगलवार तक महाअधिवक्ता की वेबवाइट पर निस्तारित आख्या फीड कराकर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में बोर्ड बैठक में महाधिवक्ता की वेबसाइट की प्रारूप (अद्यतन स्थिति) को रखा जायें।

एजेण्डा बिन्दु–17:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–05 के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा आरबिट्ल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक वाद के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय — आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–05 के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा आरबिट्ल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक वाद के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–18:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–02 के कॉन्ट्रैक्टर (Afcons Infrastructure Limited) द्वारा रू0 443.83 करोड़ के विवादित भुगतान को Arbitration में संदर्भित किये जाने एवं कॉन्ट्रैक्टर की ओर से Arbitrator नामित किये जाने के कम में यूपीडा की ओर से नामित किये जाने वाले Arbitrator के चयन हेतु यूपीडा द्वारा प्रस्तावित 03 Arbitrators के Panel का बोर्ड द्वारा अनुमोदना।**

ठेकेदार द्वारा सूचित किये जाने के 30 के अन्दर यूपीडा द्वारा स्वेच्छा से Arbitrator नहीं नियुक्त किया जाता है तो Arbitrator की नियुक्ति ICADR द्वारा कर दी जायेगी। उक्त के कम में यूपीडा की ओर से नामित किये जाने वाले Arbitrator के चयन हेतु यूपीडा द्वारा 03 नाम निम्नवत् प्रस्तावित किये गये:–

| Sl. No. | Name | Designation | Experience | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri B.V. Tripathi | Retd. E in C, UPPWD | Arbitrator in 03 cases<br>Sole Arbitrator in 01 case.<br>Presiding arbitrator in 01 case. | 9415419869 |
| 2 | Sri Anil Kumar | Retd. CE, (PWD) | Sole Arbitrator in 01 case of UPPWD.<br>Counsel/Techno Legal Expert in 02 arbitration matters of NHAI.<br>Empanelled as Arbitrator with NHAI's Society for Affordable Redressal of disputes (SAROD).<br>Has dealt with 15 Arbitration cases during his tenure in NHAI. | 9810371818 |
| 3 | Sri K.N. Agrawal | Retd. DG, CPWD | Dispute Resolution Expert with NHAI and other Govt. Departments.<br>Has published over 80 arbitral awards.<br>Presently National President of Indian Institution of Technical Arbitrators. | 9818310931 |

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पैकेज–02 हेतु उपरोक्त पैनल में से श्री बी0बी0 त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित किया गया है। यदि श्री त्रिपाठी द्वारा यदि किन्ही कारणों से Arbitration करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को उक्त पैनल में सके किसी अन्य को नामित करने का अधिकार रहेगा।

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**एजेण्डा बिन्दु–19:–** **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–04 के कॉन्ट्रैक्टर (Afcons Infrastructure Limited) द्वारा रू0 344.75 करोड़ के विवादित भुगतान को Arbitration में संदर्भित किये जाने एवं कॉन्ट्रैक्टर की ओर से Arbitrator नामित किये जाने के कम में यूपीडा की ओर से नामित किये जाने वाले Arbitrator के चयन हेतु यूपीडा द्वारा प्रस्तावित 03 Arbitrators के Panel का बोर्ड द्वारा अनुमोदन।**

यूपीडा की ओर से नामित किये जाने वाले Arbitrator के चयन हेतु यूपीडा द्वारा 03 नाम निम्नवत प्रस्तावित किये गये:–

| Sl. No. | Name | Designation | Experience | Mobile No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justice K.S. Rakhra | Former Judge. Allahabad High Court | Arbitration case of UPSHA. He has also provided legal opinion to UPEIDA on different matters. | 9415215968 |
| 2 | Sri Anil Kumar | Retd. CE, (PWD) | Sole Arbitrator in 01 case of UPPWD.<br>Counsel/Techno Legal Expert in 02 arbitration matters of NHAI.<br>Empanelled as Arbitrator with NHAI's Society for Affordable Redressal of disputes (SAROD).<br>Has dealt with 15 Arbitration cases during his tenure in NHAI | 9810371818 |
| 3 | Sri R.K. Sharma | Redt. E in C, PWD, Himachal Pradesh | Member of Dispute Resolution Board of NHAI.<br>Has been Sole Arbitrator in 02 arbitrations, Member of Arbitral Tribunal (AT) in 03 arbitrations and | 9888654516 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Presiding arbitrator of AT in 04 arbitrations.<br>Arbitrations in progress.<br>• Presiding arbitrator of AT-03 arbitrations<br>• Member of AT-03 arbitrations | |

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा पैकेज–04 हेतु उपरोक्त पैनल में से श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित किया गया है।

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–01 — **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (पैकेज–2) के अन्तर्गत सुश्री अनीता कमल विधायक 279, आलापुर, जनपद–अम्बेडकर नगर द्वारा आलापुर तहसील के अन्तर्गत जहाँगीर गंज–राजेसुल्तानपुर मार्ग पर टंडवा जलाल–पदुमपुर के बीच इन्टरचेंज बनाने की मांग के क्रम में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चैनेज 53+803 पर चेंज ऑफ स्कोप के माध्यम से एक्सप्रेसवे पर चढ़ने एवं उतरने की सुविधा हेतु 04 रैम्प (टॉल बूथ सहित) एवं रैम्प के नीचे चैनेज 53+780 पर 02 बॉक्स कल्वर्ट का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त प्रदान किये गये चेन्ज ऑफ स्कोप एवं उसकी सम्भावित लागत का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लेते हुए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:– ***Sub:- Extension of Supplementary Agreement dated 8th Dec 2020 regarding modifications in Schedule 'H' of Contract Agreement of Bundelkhand Expressway for a period of 06 months.***

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे को अनुबन्धानुसार निर्धारित तिथि से काफी समय पूर्व पूर्ण किया जाना सम्भावित है। अब तक 66.88 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है एवं लगभग 205 किलोमीटर लम्बाई में ब्लैकटाप (Black Top) का कार्य किया जा चुका है जो लगभग 75 प्रतिशत है। दिसम्बर 2021 में परियोजना के मुख्य मार्ग की एक लेन तथा जून 2022 तक मुख्य मार्ग के दोनों लेन प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के शीघ्र पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप टोल कलेक्शन समय से पूर्व प्राप्त हो जाना प्रारम्भ हो जायेगा, जिससे राजस्व की प्राप्ति शुरू हो जायेगी।

अतः शिड्यूल एच (Schedule-H) में रिलेक्शेशन हेतु मा0 मंत्रीपरिषद् से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाए।

कार्यवाही / निर्णय — उपरोक्त पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:– **यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड / निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 16.07.2021 हेतु गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ।**

**कार्यवाही / निर्णय**

यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड / निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 16.07.2021 हेतु गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये की भविष्य में भूमि दरों के अनुमोदन के प्रस्तावों को एक ही एजेण्डा बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाये।

**अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–04:–** **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद–जालौन में संरेखण से प्रभावित भूमि व परिसम्पत्तियों की मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदित दर व क्रय मूल्य से सम्बन्धित निम्न प्रस्ताव निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थः–**

**कार्यवाही / निर्णय** बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद–जालौन में संरेखण से प्रभावित भूमि व परिसम्पत्तियों की मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदित दर व क्रय मूल्य से सम्बन्धित प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

**अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–05:–** **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद–औरैया में संरेखण से प्रभावित भूमि व परिसम्पत्तियों की मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदित दर व क्रय मूल्य से सम्बन्धित निम्न प्रस्ताव निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थः–**

**कार्यवाही / निर्णय** बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद–औरैया में संरेखण से प्रभावित भूमि व परिसम्पत्तियों की मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदित दर व क्रय मूल्य से सम्बन्धित प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

**अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–06:–** **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद–इटावा में संरेखण से प्रभावित भूमि व परिसम्पत्तियों की मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदित दर व क्रय मूल्य से सम्बन्धित निम्न प्रस्ताव निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थः–**

**कार्यवाही / निर्णय** बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद–इटावा में संरेखण से प्रभावित भूमि व परिसम्पत्तियों की मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा द्वारा अनुमोदित दर व क्रय मूल्य से सम्बन्धित प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

**अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–07:–** **यूपीडा में तैनात संविदा एवं प्रतिनियुक्त कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का अनुमोदन।**

**कार्यवाही / निर्णय** निदेशक मण्डल के सदस्यों को उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास विभाग के सभी प्राधिकरणों द्वारा अपने कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है। शासन द्वारा भी यूपीडा के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुये यह निर्देशित किया गया है कि **''समस्त प्राधिकरणों द्वारा अपनी बोर्ड बैठकों में अपने कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा सम्बन्धी निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में अपने कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।''**

उपरोक्त पर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया की आगामी बैठक में यूपीडा के कर्मियों को चिकित्सा व्यय दिये

जाने पर क्या व्यय भार सम्भावित है, का आंकलन प्रस्तुत किया जाये। तदोपरान्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिया जाना उचित होगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि यूपीडा का वित्तीय लेखा–जोखा का कार्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अतः कुशल वित्तीय प्रबन्धक हेतु यूपीडा द्वारा अपनी इन्टर्नल ऑडिट टीम गठित की जायेगी, जिसमें कार्यालय महालेखाकार से सेवा निवृत्त अनुभवी 04 ऑडीटर नियुक्त किये जायेगें जो विभिन्न परियोजनओं का नियमित रूप से ऑडिट करेंगें, जिससे भविष्य में महालेखाकार कार्यालय से आने वाली ऑडिट टीम से ऑडिट कराने में किसी तरह की कठिनाई न आये। अध्यक्ष महोदय द्वारा यूपीडा के वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया कि आन्तरिक लेखा परीक्षा टीम के गठन से सम्बन्धित कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी कराई जाये।

बैठक के समापन पर अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया कि यूपीडा की संचालित विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के सम्बन्ध में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.07.2021 को वाराणसी में जनसभा में उ0प्र0 के विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुये बताया गया कि, **"यू0पी0 के कोने–कोने को चौड़ी एवं आधुनिक सड़कों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम यहाँ तेजी से चल रहा है, डिफेन्स कॉरिडोर हो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे ये इस दशक में उ0प्र0 के विकास को नई बुलन्दी देने वाले है। इस पर गाड़ियाँ ही नही इनके इर्द–गिर्द आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाले नये औद्योगिक इन्फास्ट्रेक्चर तैयार होगी।"**

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सदस्यों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक वीडियों दिखाया गया जो तहसील कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर का है। यह एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है एवं शीघ्र ही अन्य पैकेज की सड़को का निर्माण कार्य पूर्ण गुणवक्ता के साथ पूरा कर लिया जायेगा एवं इस बात की भी सम्भावना है, कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनसर्म्पीत की जायेगी।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सदस्यों को यह भी अवगत कराया कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का अप्रूवल लैण्ड एक्यूजेशन का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है एवं अगले माह तक लैण्ड एक्यूजेशन का कार्य भी यथा संभव प्रारम्भ हो जायेगा। वर्तमान में डिफेन्स कॉरिडोर विकास परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है एवं इस बात का प्रयास किया जा रहा है, कि डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना का शिलयन्यास मा0 प्रधानमंत्री जी के कर–कमलों से कराया जायें।

अतं में मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

---

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2021 को सम्पन्न हुई 67वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 16.07.2021 को अनुमोदित किये गये हैं।

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी